य व तारीख
जो किस्म हुक्म
में जारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
35 / 2024	23.01.2024	9.02.2024

पीठासीन अधिकारी– विजेन्द कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

उनवान

1– हरि प्रकाश पुत्र भेरू जाति मेहर निवासी मूंड़ला तहसील दीगोद जिला कोटा
2– द्वारका बाई पुत्री भेरू पत्नी पांचूलाल जाति मेहर निवासी सांगोद जिला कोटा
3– बादाम पुत्री भेरू जाति मेहर मृतक जरिये कायम मुकामान–
3/1 नाथी बाई माता बादाम बाई, पिता मथुरालाल जाति मेहर निवासी कोटडी गोरधनपुरा कोटा
3/2 नाथूलाल माता बादाम बाई पिता मथुरालाल जाति मेहर निवासी कोटडी गोरधनपुरा कोटा
4– मुन्नीबाई पुत्री भेरू पत्नि देवलाल जाति मेहर निवशसी कोटडी गोरधनपुरा जिला कोटा
5– भेरी पत्नी रामलाल जाति मेहर मृतक जरिये कायम मुकामान–
5/1 लाड़बाई पत्नी स्व0 सुरेन्द्र
5/2 उषा बाई पत्नी स्व0 महेन्द्र
जाति मेहर निवासीगण ग्राम मूंड़ला तहसहील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रार्थीगण)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद

(प्रतिपक्षीगण)

प्रार्थीगण की ओर से – श्री मायाराम स्वामी एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से– तहसीलदार दीगोद

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट वास्ते जाति दुरूस्ती हेतु

निर्णय

प्रार्थीगण ने उपरोक्त शीर्षक का प्रार्थना पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण जाति से मेर है ओर मृतक खातेदार भेरू व उसके वारिसान एक ही परिवार के सदस्य है जिनकी भी जाति मेर (मेहर) है।

यह कि ग्राम मूंड़ला तहसील दीगोद जिला कोटा में सेटलमेन्ट से पूर्व पुराना खसरा नम्बर 200 की भूमि स्थित थी जिसके बाद केचमेन्ट खसरा नम्बर 311 व 312 कायम किये गये उसके बाद सेटलमेन्ट कार्य हुआ ओर बाद सेटलमेन्ट नये खसरा नम्बर 66/1 नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद जिला कोटा (राज.)

कायम किया गया जो प्रार्थीगण के शामलाती खाते की भूमि है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 संलग्न है।

यह कि पूर्व में उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में भेरू आ0 भंवरिया 1/2 हिस्सा, रामसुख, पांच्या, किशन पिस0 गोबरिया 1/2 हिस्सा जाति मेर के खाते दर्ज चली आ रही थी। प्रार्थीगण के पूर्वज भेरू जी की जाति मेहर(मेर) है ओर प्रार्थीगण मेर समाज के सदस्य है। प्रार्थीगण के आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में जाति मेहर दर्ज है।

यह कि सेटलमेंन्ट के दोरान सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों की त्रुटि के कारण राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पूर्वज भेरू आत्मज भंवरिया जी की जाति मेहर के स्थान पर सहवन से कुम्हार जाति अंकित कर दी है जो गलत है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण की जाति कुम्हार दर्ज है इस कारण जाति कुम्हार के स्थान पर जाति मेहर दर्ज किया जाकर दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है।

यह कि प्रतिपक्षी के कर्मचारियों को प्रार्थीगण ने उक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करने हेतु दिनांक 22.12.2023 को कहा तो उन्होने सक्षम न्यायालय का आदेश लाने को कहा व जाति को दुरूस्त नहीं किया।

यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थीगण के लिये माननीय न्यायालय में जाति की दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र प्रतिपक्षी के खिलाफ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हो गया है जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

यह कि प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण प्रतिपक्षी के सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण की जाति कुम्हार के स्थान पर मेर जाति दर्ज करने से व राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त नही करने की कहने पर दिनांक 22.12.2023 को पैदा हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा पारित की जावेः–

(1) कि ग्राम मूंड़ला तहसील दीगोद जिला कोटा की खाता नं0 नया 205 पुराना 188 पर खसरा नम्बर 664 की 0.08 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण की जाति कुम्हार के स्थान पर जाति मेहर दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थीगण की ओर से संलग्न दस्तावेज

1– नकल जमाबन्दी ग्राम मूंडला सम्वत 2076–2079
2– नकल जमाबंदी ग्राम मूंडला सम्वत 2034–2037
3– नकल जमाबंदी सेटलमेन्ट सम्वत 2043–2062
4– नकल मिला क्षेत्रफल
5– नकल फर्द केचमेन्ट 1997–98
6– नकल इन्तकाल नं0 103
7– नकल इन्तकाल नं0 107
8– नकल सेटलमेन्ट मिलान क्षेत्रफल
9– नकल छाया प्रति जाति प्रमाण पत्र

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिपक्षी की ओर से तहसीलदार दीगोद द्वारा जवाब सरकार तैयार किया जाकर प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। पटवारी हल्का मूंडला कि रिपोट एवं तहसीलदार

दीगोद के पत्रांक भू0अभि0 / 2024 / 440 दिनांक 06.02.2024 से प्राप्त रिपोर्ट में प्रार्थीगण की जाति मेर होना बताया है तथा अपनी रिपोर्ट में मेर व मेहर एक ही जाती होना प्रमाणित किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार भेरू पुत्र भंवरिया हि0 1/2 जाति मेर होना चाहिय परन्तु सेटलमेन्ट जमाबन्दी में जाति कुम्हार दर्ज हो गयी जिसमें भेरू की मृत्यु के पश्चात मृतक के वारिसानों की जाति भी कुम्हार दर्ज हो गयी जो शुद्धि योग्य बताया है।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 6 रूल 17 जा0दी0 का पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र में टाईप करते समय सहवन से प्रार्थीगण की जाति मेहर के स्थान पर मेर टाईप हो गयी । इस कारण न्याय हित में प्रार्थना पत्र में जहां जहां भी 'मेर ' दर्ज है उसके स्थान पर मेहर दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 6 रूल 17 जा0दी0 का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण की ओर से आर्डर 6 रूल 17 को स्वीकार कर जाति मेर के स्थान पर मेहर अंकित करने की स्वीकृति दी गई ।

प्रश्नगत प्रकरण में जवाब सरकार प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र 136 एल आरर एक्ट को बहस पर नियत किया गया। प्रार्थना पत्र में बहस अधिवक्ता की सुनी गयी। पत्रावली में उपलब्द्व राजस्व रिकार्ड एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों का एवं प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस का गहन अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की जाति को दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 136 का स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम मूंड़ला तहसील दीगोद की खाता नं0 नया 205 पुराना 188 पर खसरा नम्बर 661 की 0.08 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण की जाति ' कुम्हार ' के स्थान पर जाति मेहर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय अनुसार पालना की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।।

निर्णय आज दिनांक 9.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद जिला कोटा (राज.)